Company Affairs which is administering the Act has been requested to examine and process the recommendation.

I.M.F. conditionalities and delicencing of industries

2949. SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that IMF had put certain conditions on our economy like devaluation of rupee, free entry to multinationals and more than 51 percent equity in Indian industries to foreign nationals and curbing various rules on free import policy and delicencing of various industries;

(b) if not, what are the reasons for Government deviating from the earlier policy of self reliance;

(c) what is the share of foreign companies in our industrial production; and

(d) whether there is any restriction on the export of particular products manufactured by multinationals in India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) No, Sir.

(b) The Government is not deviating from its policy of self-reliance.

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) Exports from India are regulated by the Import and Export (Control) Act, 1947, and the policies and procedures laid down in the Import and Export Policy. No distinction is made between companies having foreign equity participation, or those with 100% Indian equity for purposes of export of various products manufactured by them.

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन वितरित ऋणों में कदाचार

2950. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आदिवासी मंडला जिले की डिंडौरी तहसील और शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में स्थित बैंकों द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन लाखों रुपयों के ऋण वितरित किए जाने में हुए कदाचार के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो जिन बैंकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनके नाम क्या-क्या हैं;

(ग) उन व्यापारियों के नाम क्या-क्या हैं जिनके लिए उक्त बैंकों को ऐसा लेन-देन करना पड़ा;

(घ) क्या सरकार ने इस कदाचार में शामिल बैंक अधिकारियों तथा व्यापारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ङ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उन्हें ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को प्राप्त राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मंजूरी और संवितरण तथा कथित अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों को संबंधित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उठाया जाता है। बैंक आवधिक अंतरालों पर अपनी शाखाओं का निरीक्षण करते है। भारतीय रिजर्व बैंक भी बैंकों की सांविधिक जांच करता है निरीक्षण की इन प्रक्रियाओं के दौरान ऋण मूल्यांकन और अन्य मामलों से संबंधित विभिन्न कमियां सामने आती हैं। निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार बैंकों द्वारा अधिकारियों सहित दोषी पाये गए कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

Bid to take over Vysya Bank

2951. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that leading foreign bank is cornering a large part of the public shareholding of the Vysya Bank, one of the best-run private sector banks in the country; and

(b) if so, what steps Government are taking to protect the interests of this premier private sector bank and prevent its takeover by the said foreign bank?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) Reserve Bank of India have reported that they do not have information to this effect.